

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2142 का उत्तर

गैर-वातानुकूलित कोचों में अत्यधिक भीड़

2142. श्री जिया उर रहमान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि रेल को विशेष रूप से व्यस्त मार्गों पर गैर-वातानुकूलित डिब्बों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने की आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा संरचित मिशन मोड में कवच स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए क्या पहल की गई है/की जा रही है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल में, रेलगाड़ियों का अधिभोगिता स्वरूप पूरे वर्ष एकसमान नहीं रहता है तथा यह कम व्यस्त और व्यस्त अवधियों के दौरान बदलता रहता है। अधिक व्यस्त अवधि के दौरान, विशेष रूप से लोकप्रिय मार्गों पर रेलगाड़ियों की अधिभोगिता पूरी रहती है, जबकि कम व्यस्त अवधि के दौरान तथा कम लोकप्रिय मार्गों पर, रेलगाड़ियों की अधिभोगिता कम होती है।

भारतीय रेल पर चलने वाली रेलगाड़ियों के यातायात स्वरूप की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है तथा अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए, परिचालनिक व्यवहार्यता के अध्यधीन, मौजूदा रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाती है, स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं, नई रेलगाड़ियां शुरू की जाती हैं, मौजूदा रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाते हैं।

भारतीय रेल यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के निरंतर प्रयास में, विभिन्न प्रकार की नियमित रेलगाड़ियों के अलावा, यात्रियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए त्योहारों, छुट्टियों आदि के दौरान स्पेशल रेलगाड़ी सेवाएं भी परिचालित करती है।

तदनुसार, वर्ष 2024 के दौरान होली और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पेशल रेलगाड़ियों के 13523 फेरे परिचालित किए गए। दुर्गा पूजा/दीपावली/छठ के दौरान भीड़ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लगभग 1.8 करोड़ यात्रियों को सेवित करने के लिए 1 अक्टूबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 की अवधि के दौरान स्पेशल रेलगाड़ियों के 7990 फेरे परिचालित किए गए।

हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने 13 जनवरी, 2025 से 28 फरवरी, 2025 की अवधि के दौरान 17300 से अधिक रेलगाड़ियों का परिचालन किया तथा लगभग 4.24 करोड़ यात्रियों को सेवित किया।

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न वर्गों के यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्थान सृजित करने के लिए, स्थायी और अस्थायी दोनों आधार पर, रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, स्थायी आधार पर रेलगाड़ी सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए 872 सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया है, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान (फरवरी, 2025 तक), स्थायी आधार पर रेलगाड़ी सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए 983 सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया है।

इसके अलावा, सामान्य श्रेणी और गैर-वातानुकूलित शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए, मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की संरचना से संबंधित मौजूदा नीति के अंतर्गत 22 सवारी डिब्बों वाली गाड़ी में 12 (बारह) सामान्य श्रेणी और गैर-वातानुकूलित शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों और 08 (आठ) वातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में गाड़ी सेवाओं के चालन के लिए उपयोग किए जा रहे कुल सवारी डिब्बों में से दो-तिहाई गैर-वातानुकूलित हैं और एक-तिहाई वातानुकूलित प्रकार के हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अमृत भारत सेवाएं शुरू की हैं, जो उन्नत विशेषताओं जैसे झटका मुक्त यात्रा के लिए सेमी-परमानेंट कपलर, क्षैतिज स्लाइडिंग खिड़कियां, फोल्डेबल स्नैक टेबल और बॉटल होल्डर, मोबाइल होल्डर आदि से सुसज्जित हैं। ये सेवाएं, पूरी तरह से गैर-वातानुकूलित गाड़ियां हैं और इनमें वर्तमान में 12 शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बे और 8 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे शामिल हैं, जो यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

अनारक्षित सवारी डिब्बों में स्थान बढ़ाने और उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए, चालू वित्त वर्ष के दौरान एलएचबी सवारी डिब्बों के साथ चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लगभग 1200 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं। बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल ने 17,000 से अधिक सामान्य श्रेणी/शयनयान श्रेणी (गैर-वातानुकूलित) सवारी डिब्बों के विनिर्माण की योजना बनाई है।

(घ):

- कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षा प्रणाली है। कवच एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसे सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन (एसआईएल-4) की आवश्यकता होती है।
- यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित ब्रेक लगाकर लोको पायलट को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर रेलगाड़ी चलाने में

सहायता करता है और यह खराब मौसम के दौरान रेलगाड़ी को सुरक्षित ढंग से चलाने में भी सहायता करता है।

- यात्री गाड़ियों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। प्राप्त अनुभवों और स्वतंत्र संरक्षा निर्धारक (आईएसए) द्वारा प्रणाली के स्वतंत्र संरक्षा मूल्यांकन के आधार पर कवच के संस्करण 3.2 की आपूर्ति के लिए 2018-19 में तीन फर्मों को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया था।
- कवच प्रणाली के कार्यान्वयन में शामिल मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:
 - प्रत्येक स्टेशन, ब्लॉक खंड पर स्टेशन कवच की संस्थापना।
 - पूरे रेलपथ की लंबाई पर आरएफआईडी टैग की संस्थापना।
 - संपूर्ण रेलखंड में दूरसंचार टावरों की संस्थापना।
 - रेलपथ के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।
 - भारतीय रेल पर परिचालित किए जाने वाले प्रत्येक रेलइंजन पर लोको कवच का प्रावधान।
- दक्षिण मध्य रेलवे में 1465 मार्ग किलोमीटर पर कवच संस्करण 3.2 की संस्थापना के दौरान काफी अनुभव प्राप्त हुए, जिन्हें कार्यान्वित करते हुए आगे सुधार किए गए। अंततः दिनांक 16.07.2024 को कवच संस्करण 4.0 विशिष्टियों को आरडीएसओ द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
- कवच संस्करण 4.0 में विभिन्न रेल नेटवर्क के लिए अपेक्षित सभी मुख्य विशेषताएं शामिल हैं। भारतीय रेल हेतु संरक्षा के संबंध में यह विशिष्ट उपलब्धि है। अल्प अवधि के भीतर, भारतीय रेल द्वारा स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली को विकसित किया गया, परीक्षण किया गया और संस्थापित करना शुरू किया गया।
- कवच के संस्करण 4.0 में प्रमुख सुधारों में अधिक सटीक अवस्थिति, बड़े यार्ड के लिए सिगनल संबंधी बेहतर जानकारी, ओएफसी पर स्टेशन से स्टेशन तक

कवच इंटरफेस और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के लिए सीधा इंटरफेस शामिल हैं। इन सुधारों के साथ, कवच संस्करण 4.0 को भारतीय रेल पर बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना बनाई गई है।

- फरवरी, 2025 तक भारतीय रेल में कवच प्रणाली में शामिल प्रमुख मदों की प्रगति निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	मदें	प्रगति
i.	ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना	5743 कि.मी.
ii.	दूरसंचार टावरों की संस्थापना	540 अदद
iii.	स्टेशनों पर कवच का प्रावधान	664 अदद
iv.	रेलइंजनों में कवच का प्रावधान	795 रेलइंजन
v.	ट्रैक साइड उपस्कर की संस्थापना	3727 मार्ग कि.मी.

- कवच प्रणाली के कार्यान्वयन के अगले चरण की योजना निम्नानुसार है:-
 - 10,000 रेल इंजनों में इसकी संस्थापना की परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। कवच प्रणाली की संस्थापना के लिए 69 अदद लोको शेडों को तैयार किया गया है।
 - लगभग 15000 मार्ग कि.मी. के लिए कवच के रेलपथ साइड कार्यों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। इसमें भारतीय रेल के सभी स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) रेलमार्ग, स्वर्णिम विकर्ण रेलमार्ग (जीडी), उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) और चिह्नित रेलखंड शामिल हैं जिसमें से 1865 मार्ग किलोमीटर प्रदान कर दिया गया है।
- वर्तमान में, कवच प्रणाली की आपूर्ति के लिए 3 ओईएम अनुमोदित हैं। क्षमता और कार्यान्वयन के स्तर को बढ़ाने के लिए और अधिक ओईएम के परीक्षण और अनुमोदन विभिन्न चरणों में हैं।

सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय रेल के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान (इरिसेट) और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में कवच से संबंधित विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक 20000 से अधिक तकनीशियनों, ऑपरेटरों और इंजीनियरों को कवच प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन पाठ्यक्रमों को इरिसेट के सहयोग से तैयार किया गया है।
